

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ- 3-3 / 1020 / 2017 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29-6-2017

✓ प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश।


विषय :- चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल प्रावर्स 1995 भाग दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल प्रावर्स 1995 भाग दो में चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2017/नियम/चार दिनांक 25-2-2017 द्वारा वित्तीय अधिकार दिये गये थे। उक्त प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के स.क्र.1 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन कर प्रतिस्थापित किये जाते हैं :-

Sr. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation
1	2	3	4
1	Sanction purchase of instruments equipment and apparatus.	1. Administrative department 2. Commissioner Medical Education 3. Dean of Medical College/Principal, College of Dentistry/ Director, Mental Hospital, Gwalior & Director RIO 4. Hospital Superintendent.	Full Powers Up to Rs. 10 Cr. for each item Up to Rs. 1.00 Cr. for each item Up to Rs. 4.00 Lakh in each case

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुखर्जी)
सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ-3-3/1020/2017/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 29-6-2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग